न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–97 / 2016

कैलाश भुईयॉ बनाम माहो भुईयॉ वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
7/7/22	आवेदक कैलाश भुईयॉ, पिता–स्व0 लेदो भुईयॉ एवं शारदा देवी, पति–कैलाश भुईयॉ साकिन–बाराडीह, अंचल–मयुरहंड जिला–चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, मयूरहंड के विविध वाद संख्या–02 / 2014 में दिनांक–18.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से विलंब छांत करने संबंधी आवेदन के साथ वाद दायर किया गया। तदनुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मूयरहंड से निम्न न्यायालय अभिलेख की मॉग की गई। संबंधित पक्ष द्वारा अपने–अपने समर्थन में पक्ष रखा गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि**–यह कि उपरोक्त अपील विद्वान अंचल अधिकारी, मयुरहंड के आदेश दिनांक–18.12.2014 ई0 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा दायर किया गया है। यह कि मौजा–बाराडीह के खाता संख्या–01 प्लॉट सख्या–06 रकवा–41.06 एकड़ थाना–ईटखोरी वर्तमान में मयुरहंड के अंतर्गत **गैरमजरूआ खास सर्वे खतियान में दर्ज है।** यह कि बिहार भू–दान यज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 25.07.1956 ई0 को भू–दान पर्चा प्रमाण पत्र संख्या–88893 से परसन भुईयॉ, पिता जगु भुईयॉ के नाम से मौजा बाराडीह के खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–06, रकवा–1.50 एकड़ चौहद्दी उ0–सीमाना पीपरा, द0–लोकी भुईयॉ, पु0–बाढो महतो, प0–गानो तेली तथा इसी खाते, प्लॉट में दूसरी जगह जिसकी चौहद्दी उ0–मधवा भुईयॉ, द0–भीखन धोबी, पु0–दिलीप गहतो, प0–जंगल झाड़ी हासिल है। परसन भुईयॉ अपने जीवनकाल में	

एक कुँआ तथा एक घर उपरोक्त जमीन पर बनाये हैं। यह कि भू–दान पर्चा की तिथि से ही परसन भुईयाँ उपरोक्त जमीन के शांतिपूर्वक जोत–कोड दखल–कब्जा में चला आ रहा है। परसन भुईयाँ अपने पीछे तीन बेटा क्रमशः गोपी भुईयाँ, लेदो भुईयाँ एवं बबलू भुईयाँ को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बबलू भुईयाँ अपना ससुराल कुरहा गड़हा में स्थायी रूप से बस गया तथा बाराडीह से संबंध विच्छेद पूर्ण रूप से कर लिया। गोपी भुईयाँ भी अपने हक हिस्से की जमीन को माहो भुईयाँ के पक्ष में बाजी दावा कर दिये हैं, जिससे गोपी भुईयाँ के वारिसान को भी वाद भूमि से मतलब नहीं है। यह कि इस प्रकार लेदो भुईयाँ ही एकमात्र वारिश वाद भूमि के दखल–कब्जा, जोत कोड़ में रहा है तथा लेदो भुईयाँ के मरने के बाद उसका एकमात्र बेटा कैलाश भुईयाँ उत्तराधिकारी के रूप में सम्पूर्ण जमीन 2.50 एकड़ का स्वामी हुए है। शारदा देवी, कैलाश भुईयाँ की पत्नी है, जो अपीलार्थी संख्या–02 है। यह कि अपीलार्थी शारदा देवी दिनांक–23.09.2014 ई0 को अंचल अधिकारी मयुरहंड के पास आवेदन देकर रसीद निर्गत करने का प्रार्थना की, जिसे अंचल अधिकारी ने दिनांक–18.12.2014 ई0 को खारीज कर दिये हैं, अंचल अधिकारी के कार्यालय का मुकदमा संख्या 21/2014–15 है। यह कि उतरवादी का 1.90 एकड़ जमीन खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06 के दूसरे भाग में सरकारी बंदोबस्ती पर्चा से हासिल है, परंतु हल्का कर्मचारी ने गलत ढंग से अपीलार्थी के जमीन को ही दिखा दिया है, जो बिल्कुल गलत, नाजायज एवं विद्वेषपूर्ण है। यह कि उत्तरवादी माहो भुईयाँ ग्राम–बेला का है, जबकि अपीलार्थीगण ग्राम–बाराडीह का है तथा उत्तरवादी बी0सी0सी0एल0 का कर्मचारी था, अभी सेवानिवृत हो गया है। यह कि यदि अपीलार्थी का अपील स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब अपीलार्थीगण को रहने की भी समस्या होगी तथा अपूरणीय क्षति सहन करना पड़ेगा। यह कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भू–दान पर्चा, लम्बे समय से शांतिपूर्वक दखल–कब्जा, घर–मकान, कुँआ तथा भूमिहीन होने के कारण रसीद निर्गत करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है तथा सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जा सकता है तथा अपीलार्थी के पक्ष में रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जा सकता है। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, मयुरहंड द्वारा मुकदमा संख्या 21/2014–15 दिनांक–18.12.2015 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी

के पक्ष में सरकारी रसीद निर्गत करने के लिए आदेश देने की कृपा करें।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के दौरान प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्ती पर्चा से प्राप्त होने का दावा किया गया है। साथ ही साथ अंचल कार्यालय से रसीद निर्गत होने एवं पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–122/6 पर जमाबंदी कायम होने का दावा किया गया हैं। उनके द्वारा बताया गया कि द्वितीय पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम होने की पृष्टि अंचल अधिकारी, मयुरहंड से प्राप्त अभिलेख में संलग्न जॉच प्रतिवेदन से होता हैं।

अचंल अधिकारी, मूयरहंड अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि–''प्रथम पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया दोनो पक्षों के कागजात की छायाप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें आवेदिका की पक्ष से सिर्फ भुदान कमिटी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र का छायाप्रति पाया गया जबकि द्वितीय पक्ष की ओर से अंचल बन्दोबस्ती द्वारा पर्चा एवं रसीद सन 1978–79 में निर्गत है। आवेदिका का भुदान द्वारा पर्चा का प्रमाण पत्र खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, रकवा–41.50 ए0 मधे रकवा–1.50 ए0+0.75 ए0= 2.25 ए0 का प्रमाण पत्र का छायाप्रति सिर्फ प्राप्त है। तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष की ओर से खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, रकवा कुल मधे रकवा–1.40 ए0 + 0.50 ए0= 1.90 ए0 का अंचल बंदोबस्त का पर्चा एवं अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा द्वारा केस का प्रकार 144 द0प्र0स0 सन 1928 में आदेश क्रम संख्या 1/2 382 में भैकट किया गया है। जो द्वितीय पक्ष का इस भूमि में दखल कब्जा है। आवेदिका चाहे तो यह मामला अपीलीय न्यायालय में जा सकती है।''

अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–''आवेदिका शारदा देवी, पति–श्री कैलाश भुईयॉ, मौजा–बाराडीह के जमीन निम्न प्रकार है–**सर्वे खतियान के अनुसासर**–मौजा–बाराडीह, थाना नं0–244 में खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, कुल रकवा–41.50 एकड़ **गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। किस्म जमीन जंगल है।** आवेदित भूमि इसी खाते की खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06 के दो भाग में है जिसका रकवा–41.50 मधे रकवा–1.50 ए0+0.75 ए0=2.25 है। जो आवेदिका के दादा ससुर परसन भुईयॉ पिता जगु भुईयॉ के नाम से 1955–56 में भूदान से प्राप्त है। आवेदिका का घर इसी भूमि के एक भाग पर बना हुआ है उस प्लॉट का रकवा 0.75 ए0 है एवं दूसरा भाग के रकवा 1.50 ए0

(27)

है। आवेदिका ने अपने आवेदन में अनुरोध सरकारी रसीद निर्गत करने के लिए किया है। माहो भुईयॉ वो बचु भुईयॉ पिता दमरी भुईयॉ के नाम से 1978–79 में सरकारी बन्दोबस्ती का पर्चा है। जिसका खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 06 कुल रकवा के मधे रकवा 1.40+0.50=1.90 है। जिसका रसीद तिथि–16.01.1987 रसीद संख्या–220550, तिथि–09.08.11, रसीद संख्या–3846167 जो पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 122/6 पर दर्ज है।

उपरोक्त संबंधित पक्ष द्वारा समर्पित लिखित कथन, सुनवाई के दौरान के प्रतिवेदित बिन्दु एवं अंचल अधिकारी, मयुरहण्ड से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होत है:–

1. **गैरमजरूआ खास (किस्म जंगल) भूमि का मामला।**
2. **प्रथम पक्ष के द्वारा भू–दान पर्चा के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा।**
3. **द्वितीय पक्ष के द्वारा बंदोबस्ती के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा।**

1. **गैरमजरूआ खास (किस्म जंगल) भूमि का मामला :– अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–**''आवेदिका शारदा देवी, पति–श्री कैलाश भुईयॉ, मौजा–बाराडीह के जमीन निम्न प्रकार है–**सर्वे खतियान के अनुसासर**–मौजा–बाराडीह, थाना नं0–244 में खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, कुल रकवा–41.50 एकड़ **गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। किस्म जमीन जंगल है।**

2. **प्रथम पक्ष के द्वारा भू–दान पर्चा के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा :–** अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–''आवेदित भूमि इसी खाते की खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06 के दो भाग में है जिसका रकवा–41.50 मधे रकवा–1.50 ए0+0.75 ए0=2.25 है। जो आवेदिका के दादा ससुर परसन भुईयॉ पिता जगु भुईयॉ के नाम से 1955–56 में भूदान से प्राप्त है।

(28)

3. **द्वितीय पक्ष के द्वारा बंदोबस्ती के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा** :– अभिलेख में संलग्न राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–"माहो भुईयॉ वो बचु भुईयॉ पिता दमरी भुईयॉ के नाम से 1978–79 में सरकारी बन्दोबस्ती का पर्चा है। जिसका खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या 06 कुल रकवा के मधे रकवा 1.40+0.50=1.90 है। जिसका रसीद तिथि–16.01.1987 रसीद संख्या–220550, तिथि–09.08.11, रसीद संख्या–3846167 जो पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 122/6 पर दर्ज है।

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (v) एवं (VII) में स्पष्ट निदेश दिया गया है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0 दिनांक–15.07.2020 पारा 9 के कंडिका (V) के अनुसार– "जिन मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को नियमतः गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती/गृह स्थल बंदोबस्ती की गई है, उन मामलों में बंदोबस्ती पंजी, पट्टा एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापनोपरांत पूर्णतः संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी आदेश पारित करेंगे तथा पंजी–II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे। विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। यदि ऐसे मामलों जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो उसका निष्पादन उपरोक्त दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय।"

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (vii) में अंकित है कि– " खतियान में जंगल, जंगल–झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 " में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–8–78/1996–FC (pt) dated- 10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की

जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय।"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है। संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए पुनः अभिलेख संधारण करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः अंचल अधिकारी, मयुरहण्ड को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

07/07/22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

07/07/22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:08:26 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9